

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जनवरी, 2018

सं. 10/ 2018 – केन्द्रीय कर

सा.का.नि.59(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इसमें इस अधिसूचना के पश्चात् सीजीएसटी अधिनियम कहा गया है) की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं. 1253 (अ) तारीख 13 अक्टूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना सं. 39/2017 केन्द्रीय कर तारीख 13 अक्टूबर, 2017 में परिषद् की संस्तुति पर निम्नलिखित संशोधन करती हैं, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में शब्दों और अंकों “नियम 96 के सिवाय” के स्थान पर “नियम 96 के उपनियम (1) से उपनियम (8) और उपनियम (10) के सिवाय” अंक, कोष्ठक और शब्द रखे जाएंगे।

[फा.सं.349/58/2017-जीएसटी(पीटी.)]

डा. श्रीपार्वती एस.एल., अवर सचिव

टिप्पणः – मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) संख्या सा.का.नि. 1253(अ), तारीख 13 अक्टूबर, 2017 द्वारा संख्या 39/2017- केन्द्रीय कर, तारीख 13 अक्टूबर, 2017 को प्रकाशित की गई थी।

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd January, 2018

No. 10/2018 – Central Tax

G.S.R.59(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the “CGST Act”), on the recommendations of the Council, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue No. 39/2017 - Central Tax dated the 13th October, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 1253 (E) dated the 13th October, 2017, namely:-

In the said notification, for the words and figures “except rule 96”, the words, figures, brackets and letter ‘except sub rules (1) to (8) and sub-rule (10) of rule 96” shall be substituted.

[F. No.349/58/2017-GST(Pt.)]

Dr. SREEPARVATHY S.L., Under Secy.

Note:- The principal notification No. 39/2017-Central Tax, dated the 13th October, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 1253 (E), dated the 13th October, 2017.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जनवरी, 2018

सं. 1 / 2018 – एकीकृत कर

सा.का.नि.60(अ).—केन्द्रीय सरकार, एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इसमें इस अधिसूचना के पश्चात् आईजीएसटी अधिनियम कहा गया है) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं. 1261 (अ) तारीख 13 अक्टूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना सं.11/2017, एकीकृत कर तारीख 13 अक्टूबर, 2017 में परिषद् की संस्तुति पर निम्नलिखित संशोधन करती हैं, अर्थात् :-